आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

(1)

रे०मि० अपील सं० 09/11-12

श्याम पद गोराई.......................................अपीलकर्त्ता

बनाम

श्रीमती राधा रानी गोराई..............................उत्तरकारी

।।आदेश।।

यह रे०मि० अपील वाद सं० 09/11-12 श्याम पद गोराई श्रीमती राधा रानी गोराई सा० रसिकपुर, के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे०मि० सं० 58/04-05 में पारित आदेश दिनांक 18.11.05 के विरूद्ध में दायर किया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष न्यायालय में कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। इस पर उभय पक्षों को दिनांक 17.05.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी सं० 02 पर निर्गत नोटिश का तामिला प्राप्त है। उत्तरकारी सं० 01 पर निर्गत नोटिश बिना तामिला का वापस किया गया है। जिसमें प्रक्रिया पालक का प्रतिवेदन है कि उत्तरकारी सं० 01, द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया गया अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी सं० 02 पर, नोटिश का तामिला के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा उत्तरकारी सं० 01 द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

DBN- 30/- 7/10/17

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

08/9/17

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Noted

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.02.19 12:39:52 +05:30
Location: 169.254.227.244